न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 15/2021

हजारीलाल आयु 59 वर्ष पुत्र अमरसिंह, जाति जाट निवासी भोदन तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 18.02.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना उनवानी मुकदमा सरकार बनाम हजारीलाल मु0नं0 06/2021 अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1 .श्री विजयपाल, एडवोकेट ———— ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 09.11.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2021 बअदालत नायब तहसीलदार सिंघाना उनवानी मुकदमा सरकार बनाम हजारीलाल मु0नं0 06/2021 अं0 धारा 91 एल. आर.एक्ट नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अदालत मातहत ने आराजी हाल खसरा नंबर 365, खसरा नंबर 773/363 रकबा क्रमश 1.82 हैक्ट एवं 0.20 हैक्टर सरहद मौजा भोदन उप तहसील सिंघाना से अपीलांट को दिनांक 18.02.2021 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को निर्णय में डिसकस नहीं किया। विवाद के बिन्दु को नजरअंदाज किया है। अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.10 13:18:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

कब्जा अपने पिता के समय से गत 30 वर्षों से अधिक समय से है। अपीलांट के पिता को विवादित जमीन से कभी बेदखल नहीं किया गया। आदेश स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दु वाद विषय वस्तु में अर्न्तवलित हो वहां समरी प्रोसीडिंग के मार्फत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अदालत मातहत को धारा 183 आरटी एक्ट 1955के तहत बेदखली का दावा करना चाहिए था। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर अपने पिता के समय से गत 30 वर्षों से अधिक समय से भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। किस्म जमीन बरानी बजड है। ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर जमीन जैर बहस का अपीलांट के हक में पुराने कब्जे के आधार ापर नियमन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने निर्णय में नियमन के संबंध में व्यख्या गलत की है। अपीलांट का कब्जा नियमन योगय है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलांटके कब्जे की भूमि का नियमन अपीलांट के हक में किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अदालत मातहत ने आराजी हाल खसरा नंबर 365, खसरा नंबर 773/363 रकबा क्रमश 1.82 हैक्ट एवं 0.20 हैक्टर सरहद मौजा भोदन उप तहसील सिंघाना से अपीलांट को दिनांक 18.02.2021 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को निर्णय में डिसकस नहीं किया। मियाद के बिन्दु को नजर अंदाज किया है। अपीलांट का कब्जा अपने पिता के समय से गत 30 वर्षों से अधिक समय से है। अपीलांट के पिता को विवादित जमीन से कभी बेदखल नहीं किया गया। आदेश स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दु वाद विषय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.10 13:18:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

वस्तु में अर्न्तवलित हो वहां समरी प्रोसीडिंग के मार्फत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अदालत मातहत को धारा 183 आरटी एक्ट 1955के तहत बेदखली का दावा करना चाहिए था। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर अपने पिता के समय से गत 30 वर्षों से अधिक समय से भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। किस्म जमीन बरानी बजड है। ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर जमीन जैर बहस का अपीलांट के हक में पुराने कब्जे के आधार ापर नियमन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने निर्णय में नियमन के संबंध में व्यख्या गलत की है। अपीलांट का कब्जा नियमन योगय है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02. 2021 को अपास्त किया जाकर अपीलांटके कब्जे की भूमि का नियमन अपीलांट के हक में किये जाने का आदेश दिया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 365 व 773/363 रकबा 1.82 हैक्टर व 0.20 हैक्टर गैर मु0 बंजड़ के रकबा 0.32 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबंदी कर अतिक्रमण करने के कारण अपीलांट को नोटिस जारी कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी कर विधिवत सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो और ना ही पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। [illegible] तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.10 13:18:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 सरकार बनाम हजारीलाल मु0नं0 06/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.10 18:18:56 IST
Reason: SelfAttested